न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ राजेश गोयल, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी प्रकरण संख्या : 79/2022
जीसीएमएस नम्बर : 2022/187

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीगणः–
1. मृत भंवरसिंह पुत्र घीसुसिंह के का.मु. 1/1 पृथ्वीसिंह पुत्र भंवरसिंह 1/2 पवनसिंह पुत्र भंवरसिंह 2. मृत अर्जुनसिंह पुत्र घीसुसिंह के का.मु. 2/1 कोकिलाकवंर पत्नी अर्जुनसिंह 2/2 राघवेन्द्रसिंह पुत्र अर्जुनसिंह 2/3 रविन्द्रसिंह पुत्र अर्जुनसिंह जातिगण रावणा राजपुत निवासीगण खिवाडा तहसील रानी एवं जिला पाली		1. अयोध्यादेवी धर्मपत्नी पुनमसिंह जाति रावणा राजपुत निवासी खिवाडा, तहसील रानी जिला पाली 2. ग्राम पंचायत खिवाडा जरिये सरंपच

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित –

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री दौलत मकवाना।
2. अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री पवन सिंघल।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 11.3.2024

प्रार्थी की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, खिवाडा द्वारा जारी मिसल संख्या 14/2002 प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 11.07.2003 की पालना में अप्रार्थी अयोध्यादेवी पत्नी पुनमसिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 7156 दिनांक 07.11.2003 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने वक्त बहस निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण खिवाडा के मुल निवासी है वर्तमान में नौकरी के सिलसिले से पाली में निवास करते है। प्रार्थीगण के पुर्वज घीसुलाल उर्फ घीसुसिंह, पुनमसिंह, खुमसिंह, उदेसिंह बेटा पोता सुखदेव का मालिकाना कब्जाशुदा पट्टाशुदा मकान ग्राम खिवाडा में स्थित है जिसके पूर्व में आम रास्ता, पश्चिम में आम रास्ता, उत्तर में दरोगा खुमा का मकान एवं दक्षिण में चुन्नीलाल मोची का मकान स्थित है। जिसका पट्टा सवंत 2013 भादवा सुद 1 दिनांक 04.09.1956 को तत्कालीन ठिकाना खिवाडा रियासत के ठाकुर साहब राजश्री 105 श्री प्रतापसिंह साहब कुवंर श्री राजेन्द्रसिह द्वारा प्रार्थीगण के पुर्वजों घीसुलाल उर्फ घीसुसिंह, पुनमसिंह, खुमसिंह, उदेसिंह बेटा पोता सुखदेव के पक्ष में जारी किया गया। जिनमें से खुमसिंह एवं उदेसिंह लाऔलाद स्वर्गवास हो जाने से जैर निगरानी आराजी पर प्रार्थीगण के पुर्वज घीसुलाल उर्फ घीसुसिंह एवं अप्रार्थी संख्या 1 के पति पुनमसिंह के आपसी समझौते के आधार पर मौखिक सहमति से बराबर हिस्सा में विभाजित कर सलंग्न नजरी नक्शा अनुसार मार्क ए से दर्शित बनाप 16 बाई 58 फीट मकान अप्रार्थी संख्या 1 के पति पुनमसिंह के बंट में तथा मार्क बी से दर्शित बनाम 16 बाई 58 फीट मकान प्रार्थीगण के पिता घीसुसिंह के बंट में रखा गया। घीसुसिंह ने अपने हिस्सें में आये मकान में एक दुकान बनाम 10.6 बाई 18 फीट बनाई थी। जिसे अप्रार्थी संख्या एक को चक्की लगाकर गुजर बसर करने हेतु परमीशिव पजेशन में दी गई थी। जिसका अप्रार्थी संख्या 01 ने ग्राम पंचायत से मिलीभगत कर जैर निगरानी पट्टा संख्या 7156 बनवा लिया। ग्राम पंचायत ने अपने हक अधिकारो से बाहर जाकर जैर निगरानी पट्टा जारी किया है क्योकि राज. पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 के तहत ग्राम पंचायत केवल आबादी भुमि का ही पट्टा जारी कर सकती है जबकि जैर निगरानी आराजी आबादी भुमि नही होकर ठिकाणा चण्डावल मारवाड रियासत द्वारा

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (राज.)

अति. जिला कलक्टर, पाली

प्रार्थीगण के पुर्वजों के पक्ष में तत्कालीन ठिकाणा खिवाडा के ठाकुर साहब द्वारा संवत 2013 भादवा सुद 1 दिनांक 04.09.1956 को जारी किया गया था लेकिन ग्राम पचांयत ने जैर निगरानी आराजी का नियम 157(ख) के तहत विनियमितिकरण कर अपने हक अधिकारों से परे जाकर पट्टा जारी कर दिया। अप्रार्थी संख्या 01 ग्राम खिवाडा की वर्ष 2000 से 2005 तक वार्ड पंच थी। विधि अनुसार ग्राम पंचायत के किसी पद पर रहते हुए कोई स्वंय के पक्ष में या अपने रिश्तेदारों के पक्ष में पट्टा जारी नही कर सकता है लेकिन अप्रार्थी संख्या 01 ने वार्ड पंच के पद पर रहते हुए तत्कालीन सरपंच से मिली भगत कर जैर निगरानी पट्टा अपने नाम से करवा दिया जो विधि विरूद्ध होने से काबिल खाजिर योग्य है। अप्रार्थी संख्या 01 ने दिनांक 12.09.2002 को जैर निगरानी पट्टे हेतु आवेदन पेश किया एवं दिनांक 23.09.2002 को सचिव को हिदायत देकर मिसल कायम कर आगामी बैठक पर पेश करने के आदेश जारी कर दिये। दिनांक 23.02.2003 को नियम 145(3) की अवहेलना करते हुए सचिव द्वारा बिना नक्शा बनाये मौका निरीक्षण हेतु वार्ड पंचो की कमेटी का गठन करने का आदेश पारित कर दिया। आदेशिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि समस्त आदेशिकायें एक ही दिन में एक ही पेन से लिखी गई है एवं अप्रार्थी संख्या 01 ने जैर निगरानी पट्टे के लिए आवेदन में लिखा की यह मेरा 30–35 वर्षो पुराना मकान है जिसका में पट्टा बनवाना चाहती हुं जबकि तीन पचों की मौका निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार स्वंय की दुकान जो मकान में स्थित है, जबकि जैर निगरानी दुकान अप्रार्थी संख्या 1 के पति के हिस्से में न आकर प्रार्थीगण के पिता घीसुसिंह के बंट में आये मकान में स्थित है, जिसे प्रार्थीया ने अपने हिस्से में बताकर तथ्यों को छिपाकर जैर निगरानी पट्टा जारी करवा दिया।

ग्राम पंचायत ने राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 148(1) के तहत आपत्ति मांगने की सुचना पत्र निर्धारित प्रपत्र –22 में जारी नही कर नियम 260 के तहत जारी किया जो नियम विरूद्ध है, आपत्ति ईश्तहार में नियम 148(1)एवं 148(2) के नियमों की पालना नही की गई है। ग्राम पंचायत को नियम 157(ख) के तहत वाणिज्यिक दुकान का पट्टा जारी करने का अधिकार नही है लेकिन ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी संख्या 01 को अनुचित लाभ पहुचानें की नियत से पूर्व में जारी पट्टे की भुमि का पुनः दुकान का पट्टा जारी कर दिया जो नियम विरूद्ध एवं खारिज योग्य है। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2008 डब्ल्यु.एल.सी. (राज.) यु.सी 262, 2009(2) डी.एन.जे. (राज) 982, 2017(2)सीजे(सिविल)राज 1274, 2020(1)डीएनजे(राज)201, 2019(2)डीएनजे(राज)570, 2012(5) डब्ल्युएलसी (राज)663, 2019(2) डब्ल्युएलसी (राज)77 एवं 2000(2) आरसीआर पेज नम्बर 39 राज उच्च न्यायालय फुल बेंच पेश किये।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी द्वारा जो जैर निगरानी प्रकरण पेश किया है उसकी भूमि पूर्णत भिन्न है तथा उक्त भूमि का पट्टा वर्ष 2003 में बना था जबकि निगरानी वर्ष 2022 में पेश की गयी। पॉच रूप्ये के स्टाम्प पर लीखीत दिनांक 13.11.1990 के द्वारा प्रार्थी ने अप्रार्थी से 2 वर्ष के लिये 6000 रूपये ब्याज पर इस शर्त पर उधार लिये थे कि यदि प्रार्थी उक्त रूपये नहीं चुका पाता है तो ग्राम खिवाड़ा में प्रार्थी के मकान के 1/2 हिस्से पर अप्रार्थी का हक होगा। अतः उक्त पट्टे को चुनौती देने का प्रार्थी को कोई अधिकार नही है। जैर निगरानी पट्टे के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा पंचायती राज नियमों के तहत पट्टा जारी किया गयां है। जिसके सम्बन्ध में अयोध्यादेवी ने दिनांक 12.09.2002 को पंचायत के समक्ष अपने 30–35 वर्ष पुराने रहवासी मकान का पट्टा बनाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसके सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत नियमों की पालना करते हुये आपत्ति मगॉनें का सूचना पत्र जारी किया एवं 3 वार्ड पंचों को नियुक्त कर मौका निरीक्षण करवाया गया तथा 2 स्वतंत्र गवाहों के बयान लिये गये। नियमानुसार मौका निरीक्षण एवं नक्शा शुल्क जरिये रसीद कमांक 1000 द्वारा 25–25 रूपये जमा करवाये तथा भूमि विक्रय शुल्क जरिये रसीद कमांक 1226 द्वारा 200 रूपयें जमा करवाये गये। उक्त समस्त कार्यवाही पंचायतीराज नियमों के तहत की गयी है। इसलिये जैर निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं गहनतापूर्वक मनन किया। जैर निगरानी पट्टा ग्राम पंचायत खिवाड़ा द्वारा मिसल संख्या 14/2002 प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 11.07.2003 की पालना में पट्टा संख्या 7156 दिनांक 07.11.2003 जारी किया गया। जैर निगरानी आराजी के सम्बन्ध में पूर्व में प्रार्थीगण के पुर्वज घीसुलाल उर्फ घीसुसिंह, पुनमसिंह, खुमसिंह, उदेसिंह बेटा पोता सुखदेव का मालिकाना कब्जाशुदा पट्टाशुदा मकान ग्राम खिवाडा में स्थित है जिसका पट्टा सवंत 2013 भादवा सुद 1 दिनांक 04.09.1956 को तत्कालिन ठिकाना खिवाडा रियासत के ठाकुर साहब राजश्री 105 श्री प्रतापसिंह साहब कुवंर श्री राजेन्द्रसिह द्वारा जारी किया गया। जिनमें से खुमसिंह एवं उदेसिंह लाऔलाद फौत हो जाने से जैर निगरानी आराजी को प्रार्थीगण के

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलक्टर, पाली

पुर्वज घीसुलाल उर्फ घीसुसिंह एवं अप्रार्थी संख्या 1 के पति पुनमसिंह ने आपसी समझौते के आधार पर मौखिक सहमति से बराबर हिस्सा में विभाजित किया। राज. पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 के तहत ग्राम पंचायत केवल आबादी भुमि का ही पट्टा जारी कर सकती है जबकि जैर निगरानी आराजी आबादी भुमि नही होकर ठिकाणा चण्डावल मारवाड रियासत की भुमि है जिसके संबध में तत्कालिन महाराजा द्वारा प्रार्थीगण पुर्वजों के पक्ष में पट्टा जारी किया जा चुका है फिर भी ग्राम पंचायत ने अपने हक अधिकारो से बाहर जाकर जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है जो विधि विरूद्ध है।

राज. पंचायती राज. नियम 1996 के नियम 148(2) के अनुसार जारी आपत्ति ईश्तहार दो प्रतियों में तैयार किया जाकर उसकी एक प्रति विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि पर किसी सहजदृश्य स्थान पर लगायी जायेगी, दूसरी प्रति परिक्षेत्र के कम से कम दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के, उसे ऐसे लगाये जाने के प्रमाणस्वरूप हस्ताक्षर होने चाहिये जबकि ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करने के सम्बन्ध में जारी आपत्ति ईश्तहार पर केवल गवाहों के एक हस्ताक्षर व अगुष्ठ निशान है उनके सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी अंकित नहीं है एवं न ही आपत्ति ईश्तहार पर किसी दिनांक का अंकन है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आपत्ति ईश्तहार कब जारी किया गया।

प्रार्थीया ने अपने 30–35 वर्ष पुराने मकान का पट्टा बनाने हेतु आवेदन पेश किया है जबकि बयान फार्म में सम्पूर्ण कथन केवल दुकान के सम्बन्ध में किये गये है व आबादी भूमि के निरीक्षण प्रपत्र से यह स्पष्ट है कि पट्टा दुकान के सम्बन्ध में जारी किया गया है। ग्राम पंचायत को नियम 157 के तहत दुकान का पट्टा जारी करने का अधिकार नही है लेकिन ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी संख्या 01 को अनुचित लाभ पहुचानें की नियत से पूर्व में जारी पट्टे की भुमि का पुनः दुकान का पट्टा जारी कर दिया जो नियम विरूद्ध एवं खारिज योग्य है। जैर निगरानी पट्टे की मिसल के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करने समय राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में दी गई प्रक्रिया की अक्षरश पालना नही कर अप्रार्थी संख्या 01 को नियम विरूद्ध पट्टा जारी किया है, जो विधि सम्मत नही होने से खारीज योग्य है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी की निगरानी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत खिवाडा द्वारा मिसल संख्या 14/2002, प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 11.07.2003 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 7156 दिनांक 07.11.2003 को निरस्त किया जाता है। इस निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत खिवाडा को भिजवाई जावे।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

(डॉ राजेश गोयल)
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 11/3/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ राजेश गोयल)
अति. जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली